रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 150] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 1983/भाद्र 15, 1905
No. 150] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 1983/BHADRA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

संकल्प

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1983

संख्या पी एल-30 (36)/81:—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या पीएल-30 (36)/81 दिनांक 3 फरवरी, 1982 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों की एजेंसी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति के कार्यकाल को इस मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 29 जून, 1983 के माध्यम से जुलाई, 1983 के अंत तक बढ़ा दिया गया था। उस संकल्प की एक प्रति संलग्न है। समिति की शर्तें तथा उसमें कार्य कर रहे व्यक्ति वही रहेंगे जो दिनांक 3 फरवरी, 1982 के संकल्प में निर्दिष्ट है। पुन: इस समिति के कार्यकाल को 15/9/1983 तक बढ़ाया जाता है।

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Roads Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 7th September, 1983

No. PL—30(36)/81:— The tenure of the Committee set up by the Government of India to review the Agency System of National Highways vide this Ministry's Resolution No. PL—30(36)/81 dated the 3rd Februay, 1982 was extended upto the end of July, 1983 vide this Ministry's Resolution of even number dated the 29th June, 1983. A copy of that Resolution is enclosed. Subject to other terms and conditions of the Committee remaining the same as those indicated in the Resolution dated the 3rd February, 1982 the term of the Committee is hereby extended further upto 15-9-1983, there being no change in the personnel of the Committee.

नई दिल्ली, 29 जून, 1983

सं० पी एल 30(36)/81:-- इस मंत्रालय के संकल्प सं० पी एल–30 (36)/81 दि० 3/2/82 की एक प्रति संलग्न है। समिति का कार्यकाल जुलाई, 1983 के अन्त तक बढ़ा दिया गया है। समिति की अन्य शर्तें वही रहेंगी जो संलग्न संकल्प में बताई गई है। समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे:–

1. श्री बी० बी० वोहरा अध्यक्ष
अध्यक्ष,
नैशनल कमेटी आन एनवायरनमेन्टल प्लानिंग,
पर्यावरण विभाग, नई दिल्ली।

2. ब्रिगे० गोबिन्दर सिंह,
सेवा निवृत्त महानिदेशक (सड़क विकास)
नौवहन और परिवहन मंत्रालय, (सड़क पक्ष)
नई दिल्ली। सदस्य

3. श्री के० सी० रेड्डी,
सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
कर्नाटक सरकार बंगलौर। सदस्य

4. श्री के० के० सरीन,
अतिरिक्त महानिदेशक,
(सड़क) नौवहन और परिवहन मंत्रालय,
(सड़क पक्ष) नई दिल्ली। सदस्य

5. श्री पी० सी० भसीन
सेवा निवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक (पुल)
नौवहन और परिवहन मंत्रालय, (सड़क पक्ष)
नई दिल्ली। सदस्य

6. श्री प्रकाश नारायण,
सलाहकार (परिवहन)
योजना आयोग, नई दिल्ली। सदस्य

7. श्री एस० एस० शुक्ल,
संयुक्त सचिव, (वित्तीय सलाहकार)
नौवाहन और परिवाहन मंत्रालय,
नई दिल्ली। सदस्य

के० के० सरीन, महानिदेशक
(सड़क विकास)

New Delhi, the 29th June, 1983

No. PL—30(36)/81:—A copy of this Ministry's Resolution No. PL—30 (36)/81, dated 3-2-1982 is enclosed. The Committee's tenure is extended upto the end of July, 1983, other terms and conditions of the Committee remaining the same as those indicated in the enclosed Resolution. The personnel of the Committee would be as under:-

1. Shri B.B. Vohra, Chairman
Chairman,
National Committee on Environmental Planning,
Department of Environment,
New Delhi.

2. Brig. Gobindar Singh, Member
Retd. Director General
(Roads, Development),
Ministry of Shipping and Transport,
(Road Wing),
New Delhi.

3. Shri K.C. Reddy, Member
Secretary,
PWD,
Government of Karnataka,
Bangalore.

4. Shri K.K. Sarin, Member
Addl. Director General (Roads),
Ministry of Shipping & Transport,
(Roads Wing),
New Delhi.

5. Shri P.C. Bhasin, Member
Retd. Addl. Director General (Bridges)
Min. of Shipping & Transport, (Roads Wing),
New Delhi.

6. Shri Prakash Narain, Member
Adviser (Transport),
Planning Commission,
New Delhi.

7. Shri S.S. Shukla, Member
Joint Secy.
(Financial Adviser),
Min. of Shipping & Transport,
New Delhi.

K.K. SARIN, Director General,
(Road Dev.)

नयी दिल्ली, 3 फरवरी, 1982

संख्या पी एल–30 (36)/81 :— राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य निष्पन्न करने के लिए एजेन्सी प्रणाली के कार्य की समीक्षा करने और इन प्रणाली के परिणामों में सुधार लाने के उपायों का सुझाव देने के विचार से सरकार ने एक समिति बनाने का निश्चय किया है। समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. श्री बी० बी० वोहरा, अध्यक्ष
अध्यक्ष,
नेशनल कमेटी आन एनवायरनमेन्टल
प्लानिंग, पर्यावरण विभाग,
नई दिल्ली।

2. ब्रिगे० गोविन्दर सिंह, सदस्य
महानिदेशक, (सड़क विकास)
और अतिरिक्त सचिव,
नौवहन और परिवहन मंत्रालय,
(सड़क पक्ष),
नई दिल्ली।

3. श्री प्रकाश नारायण, सदस्य
सलाहकार (परिवहन)
योजना आयोग,
नई दिल्ली।

4. श्री एस० एस० शुक्ल, सदस्य
संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार),
नौवहन और परिवहन मंत्रालय,
नई दिल्ली।

5. श्री के० के० सरीन, सदस्य
सचिव,
राजस्थान सरकार
लोक निर्माण विभाग,
जयपुर।

6. श्री के० सी० रेड्डी, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
बंगलौर

7. श्री पी० सी० भसीन, सदस्य सचिव
अतिरिक्त महानिदेशक, (पुल)
नौवहन और परिवहन मंत्रालय,
(सड़क पक्ष), नई दिल्ली।

2. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होगा :—

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एजेन्सी प्रणाली की समीक्षा करना और उपकारी उपाय करने के लिए विशेष-कर नीचे लिखे मामलों पर सुझाव देना :—

(i) प्रशासनिक व्यवस्था

(ii) एजेन्सी प्रभार

(iii) वित्तीय व्यवस्था

(iv) आयोजना का तकनीकी और वित्तीय अनुमोदन

(v) आयोजनाओं का विशेष-कर लागत और समय की दृष्टि से वास्तविक कार्यान्वयन निष्पादन।

(vi) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की आम स्थिति इनमें त्रुटियां तथा सुधार करने के उपाय, और,

(vii) राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिये अन्य मामलों पर सिफारिशें उदाहरणतया राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ बस्ती बनने को रोकना, अवैध निर्माण हटाना, प्राकृतिक सौन्दर्य का विकास करना, ट्रक परिचालकों के लिये विश्राम स्थलों की व्यवस्था करना आदि-आदि।

3. समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा परन्तु समिति अपने कार्यों को संबंधित जिन स्थानों पर जाना आवश्यक समझे वहां जाएगी। केन्द्रीय सरकार यह आशा करती है कि राज्य सरकारें और संबंधित स्थानीय प्रशासन समिति को सभी तरह की अपेक्षित सहायता प्रदान करेंगे और समिति जो सूचना मांगें वे उसे उपलब्ध करायेंगे।

4. समिति अपनी रिपोर्ट अपनी पहली बैठक की तारीख के 6 महीनों के अंदर-अंदर पेश करेगी।

ह०/-
ब्रिगे० गोविन्दर सिंह,
महानिदेशक, (सड़क विकास)
और अति० सचिव।

New Delhi, the 3rd February, 1982

No. PL-30(36)/81:—With a view to reviewing the functioning of the Agency System for the execution of the National Highway Works in the context of the present and future demands on the National Highway System and to suggest measures for improving the performance of the system, the Government have decided to set up a Committee with the following composition:—

1. Shri B.B. Vohra, Chairman
Chairman,
National Committee on Environmental,
Planning,
Department of Environment,
New Delhi.

2. Brig. Gobindar Singh, Member
Director General (Road Development)
and Additional Secretary,
Ministry of Shipping and Transport,
(Roads Wing),
New Delhi.

3. Shri Prakash Narain, Member
Adviser (Transport),
Planning Commission,
New Delhi.

4. Shri S.S. Shukla, Member
Joint Secretary (Financial Adviser),
Ministry of Shipping & Transport,
New Delhi.

5. Shri K.K. Sarin, Member
Secretary to the Government of Rajasthan,
Public Works Department,
Jaipur.

6. Shri K.C. Reddy, Member
Managing Director,
Karnataka Power Corporation Ltd.,
Bangalore.

7. Shri P.C. Bhasin, Member Secretary
Additional Director General (Bridges),
Ministry of Shipping and Transport,
(Roads Wing),
New Delhi.

2. The Terms of Reference of the Committee will be as follows:—

To review the Agency System for National Highways as well as suggest remedial measures, with particular reference to:—

(i) Administrative arrangements;

(ii) Agency Charges;

(iii) Financial arrangements;

(iv) Technical and financial approval of projects;

(v) Actual implementation/execution of the projects with particular reference to cost and time controls;

(vi) The general condition of the National Highways net work in the country; its shortcomings and measures for improvement; and

(vii) Recommendations on other matters for the improvement of National Highways e.g. prevention of ribbon development alongside National Highways; removal of encroachments; improvement of aesthetics; provision of resting places for truck operators, etc.

3. The Headquarters of the Committee will be at Delhi but it will be free to visit all such places as it may consider necessary in connection with its work. The Central Government hope that the State Governments and Local Administrations concerned will afford the Committee all assistance it may require and will furnish any information which it may call for.

4. The Committee will submit its Report within a period of six months from the date of its first meeting.

Sd/-

BRIG. GOBINDAR SINGH, Director General

(Road Development),
and Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983